प्रेस विज्ञप्ति

19.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना जोनल कार्यालय ने 12.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों- महुआ जॉइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जो धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे, को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने 18.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स महुआ जेएलजी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि जवाहर लाल शाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर आम जनता से उनके निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच देकर भारी मात्रा में धन हड़प लिया।

ईडी की जांच से पता चला कि कंपनियों/सहकारी समितियों ने निवेशकों को परिपक्वता पर सुनिश्चित रिटर्न का भुगतान करने में विफल रहीं और अपने कार्यालय बंद कर दिए। निवेशकों के धन को स्तरीकृत और शोधित पाया गया और जवाहर लाल शाह और उनके सहयोगी व्यक्तियों/संस्थाओं के खातों में भेज दिया गया और इसका एक हिस्सा अचल संपत्तियां हासिल करने में इस्तेमाल किया गया।

ईडी ने इससे पहले 07.01.2025 को बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में आरोपियों से जुड़े 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। परिणामस्वरूप, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद करके उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने 20.01.2025 को जवाहर लाल शाह को गिरफ्तार कर लिया। अपराध की आय (पीओसी) से जवाहर लाल शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अपनी पत्नी के नाम पर एक संपत्ति भी खरीदी थी । ईडी ने 1.05 करोड़ रुपये की उक्त संपत्ति कुर्क की है।

जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से आम जनता/सदस्यों/सोसाइटियों के शेयरधारकों द्वारा जमा किए गए 1.41 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है।

आगे की जांच जारी है।